त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को बसाने का समझौता क्या है?

लेखक - देवराज देब (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं III - (आतंरिक सुरक्षा) संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

20 जनवरी, 2020

"हाल ही में केंद्र, त्रिपुरा, और मिजोरम द्वारा ब्रू/रियांग समुदाय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया हैं जो उनके 23 वर्षीय आंतरिक विस्थापन संकट को समाप्त करने का वादा करता है। इस आलेख में हम जानेंगे कि यह सौदा कैसे हुआ और इस समझौते के क्या निहितार्थ हैं?"

मिजोरम में जातीय संघर्ष के (या रियांग) समुदाय के 37,000 लोगों को अपने घरों से भागकर पड़ोसी त्रिपुरा आने के लिए मजबूर किया था, अब केंद्र सरकार ने स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाए जाने के लिए 600 करोड़ रुपए का पैकेज देने का एलान किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ब्रू शरणार्थियों के प्रतिनिधियों और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देब और मिजोरम के उनके समकक्ष जोरमथांगा ने इस मामले पर 16 जनवरी को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कई मायनों में, समझौता ने भारत में आंतरिक विस्थापन के तरीके को फिर से परिभाषित किया है।

ब्रू-रियांग शरणार्थी समझौता

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लंबे समय से चली आ रही ब्रू समुदाय की समस्या का हल करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि ब्रू समुदाय के लोग अब स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसेंगे।
- 16 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ब्रू शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की उपस्थिति में मिजोरम से ब्रू शरणार्थियों के संकट को समाप्त करने और त्रिपुरा में अपने निपटान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया।

ब्रू समझौता में क्या है?

वर्तमान में, त्रिपुरा में अस्थायी राहत शिविरों में रहने वाले सभी ब्रू समुदाय अगर चाहें तो राज्य में ही बसे रह सकते है। ब्रू जो 2009 के बाद से पुनः प्रवास के आठ चरणों में मिजोरम लौट आए थे, वे वापस त्रिपुरा नहीं आ सकते हैं।

जिन लोगों को बसाया जाएगा उनकी संख्या का पता लगाने के लिए राहत शिविरों में रहने वाले ब्रू परिवारों का एक ताजा सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। केंद्र पुनः बसाए गए ब्रू समुदाय के लिए एक विशेष विकास परियोजना को लागू करेगा।

प्रत्येक पुनः बसाए परिवार को घर बनाने के लिए 0.03 एकड़ जमीन, आवास सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए और आजीविका के लिए एकमुश्त नकद लाभ के रूप में 4 लाख रुपए मिलेंगे। उन्हें 5,000 रुपए का मासिक भत्ता और पुनर्वास की तारीख से दो साल तक मुफ्त राशन भी मिलेगा।

सभी नकद सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से होगी और राज्य सरकार लाभार्थियों को बैंक खाते खोलने और आधार, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, एसटी प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र जारी करने में तेजी लाएगी।

इसे कब अंजाम दिया जाएगा?

लाभार्थियों की पहचान के लिए भौतिक सत्यापन इस समझौता के हस्ताक्षर के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान 60 दिनों के भीतर की जाएगी और आवंटन के लिए भूमि की पहचान 150 दिनों के भीतर की जाएगी। लाभार्थियों को आवास सहायता मिलेगी, लेकिन इनके घरों का निर्माण राज्य सरकार ही करेगी और फिर इन्हें सौंप देगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के 180 दिनों के भीतर अस्थायी शिविरों को बंद करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, उन्हें चार समूहों में पुनर्वास स्थानों पर ले जाया जाएगा। सभी आवास गृहों का निर्माण और भुगतान 270 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा है कि वह इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद करते हैं।

ब्रू समुदाय को कहाँ बसाया जाएगा?

राजस्व विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि इसके लिए 162 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री देब ने कहा है कि प्रयास सरकारी भूमि का चयन करने के लिए किया जाएगा, चूँकि त्रिपुरा एक छोटा राज्य है (केवल 10,491 वर्ग किमी), उनकी सरकार नए अधिकारों को प्रदान करने के लिए वन भूमि, यहाँ तक कि यदि आवश्यक हो तो वन क्षेत्रों को आरक्षित करने की संभावना तलाश करेगी।

हालाँकि, मानव बस्तियों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) से मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसमें कम से कम तीन महीने लगने की संभावना है। देब ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वन भूमि या सरकारी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जरूरत पड़ने पर धन मुहैया कराने का वादा किया है।

अब प्रवासी किस हालत में हैं?

ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक समुदाय है, जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। त्रिपुरा में वे एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में पहचाने जाते हैं। दो दशक पहले उन्हें यंग मिजो एसोसिएशन (YMA), मिजो जिरवलाई पावल (MZP) और मिजोरम के कुछ जातीय सामाजिक संगठनों द्वारा लक्षित किया गया था जिन्होंने मांग की थी कि राज्य में ब्रू को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए। अक्टूबर 1997 में जातीय झड़पों के बाद लगभग 37,000 ब्रू मिजोरम के ममित, कोलासिब और लुंगी जिलों से त्रिपुरा चले गए थे। तब से 5,000 से अधिक लोग मिजोरम में नौ चरणों में लौट आए हैं, जबकि 5,400 परिवारों के 32,000 लोग अभी भी उत्तरी त्रिपुरा में छह राहत शिविरों में रहते हैं।

केंद्र द्वारा घोषित एक राहत पैकेज के तहत्, प्रत्येक वयस्क ब्रू प्रवासी को 600 ग्राम और प्रत्येक नाबालिग को 300 ग्राम चावल का दैनिक राशन प्रदान किया जाता है। कुछ नमक भी, प्रत्येक परिवार को दिया गया। प्रत्येक वयस्क को 5 रूपए का दैनिक नकद और हर नाबालिग को 2.50 रूपए दिए जाते हैं। साबुन, चप्पल और मच्छरदानी जैसे आवश्यक सामानों के लिए समय-समय पर अल्प आवंटन किया जाता है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- इस समझौता के तहत त्रिपुरा में लगभग 30,000 ब्रू शरणार्थियों को बसाया जाएगा, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है।
- समझौता के अनुसार ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में निवास करने के लिए जमीन दी जाएगी।
- प्रत्येक परिवार को सरकारी सहायता की राशि के रूप में 4 लाख रुपए की सावधि जमा दी जाएगी। वे दो साल बाद इस राशि को निकाल सकेंगे।
- प्रत्येक विस्थापित परिवारों को 40×30 वर्ग फुट का आवासीय भूखंड दिया जाएगा।
- उनके अलावा, प्रत्येक परिवार को दो साल के लिए प्रति माह 5,000 नकद दिया जाएगा।
- समझौता पर के तहत् प्रकाश डाला गया है कि प्रत्येक विस्थापित परिवार को दो साल के लिए मुफ्त राशन और रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही 1.5 लाख रुपए अपने घर बनाने के लिए दिए जाएंगे।
- यह समझौता त्रिपुरा में हजारों ब्रू-(रियांग) लोगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी समाधान लाएगा।
- सरकार का मानना है कि यह समझौता उनके उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ब्रू- (रियांग) जनजाति सरकार की सभी सामाजिक-कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

हालाँकि, अधिकांश प्रवासी अपने चावल का एक हिस्सा बेच दिया करते हैं और धन का उपयोग दवाइयाँ सहित अपने उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया करते हैं। वे सब्जियों के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं और उनमें से कुछ जंगलों में झूम खेती कर रहे हैं।

ये स्थायी बिजली की आपूर्ति और सुरक्षित पेयजल के बिना, उचित स्वास्थ्य सेवाओं या स्कूलों तक पहुँच के बिना, बांस के अस्थाई झोपड़ियों में रहते हैं।

समझौता कैसे हुआ?

जून 2018 में, ब्रू नेताओं ने केंद्र और दो राज्य सरकारों के साथ दिल्ली में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत ब्रू जनजाति का पुन: प्रवास सुनिश्चित करने की बात कही गयी थी। हालाँकि, शिविरों में निवास कर रहे ब्रू जनजाति के अधिकांश लोगों ने इस समझौते की शर्तों को 'अपर्याप्त' बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। केवल 328 परिवार मिजोरम लौटे, जिसके बाद इस प्रक्रिया को निरर्थक कहा जाने लगा। शिविर के निवासियों ने कहा कि पैकेज ने मिजोरम में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है और उन्हें उस हिंसा की पुनरावृत्ति की आशंका है, जिसने उन्हें भागने के लिए मजबूर किया था।

16 नवंबर, 2019 को त्रिपुरा के तत्कालीन शाही परिवार के प्रमुख प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में ब्रू जनजाति के पुनर्वास की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ब्रू मूल रूप से त्रिपुरा के थे और 1976 में दक्षिण त्रिपुरा में डूमबोर पनबिजली परियोजना के चालू होने के कारण उनके घरों में पानी भरने लगा, जिसके बाद वे मिजोरम चले गए थे। अगले दिन, मुख्यमंत्री देब ने त्रिपुरा में ब्रू के स्थायी समाधान के लिए केंद्र से जवाब भी माँगा था।

यह समझौता ब्रू के लिए पहले से की गई पहलों से कैसे अलग है?

अब तक कई राज्य और केंद्र सरकारों ने केवल ब्रू जनजाति के लिए शांतिपूर्वक पुनर्वास करने पर जोर दिया है, भले ही जातीय हिंसा का स्थायी भय एक मूल बाधक रहा हो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा सुझाए गए शरणार्थियों और विस्थापितों के लिए दो अन्य 'टिकाऊ समाधान' - स्थानीय एकीकरण और पुनर्वास- पर भी कभी कार्य नहीं किया गया।

कौबरू मातृभाषा के अलावा, ब्रू जनजाति त्रिपुरा के आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों की दो सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कोकबोरोक और बंगला दोनों बोलते हैं।

गृह मंत्री शाह, जिन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता की, ने ब्रू मुद्दे के 'ऐतिहासिक' संकल्प की सराहना की। उन्होंने त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों और कुछ सामाजिक संगठनों को समझौता की शर्तों को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

कौन है ब्रू जनजाति

- ब्रू शरणार्थी कहीं बाहर के नहीं बल्कि अपने ही देश के शरणार्थी हैं। जिन्हें ब्रू (रियांग) जनजाति भी कहते हैं।
- ब्रु समुदाय मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। इस जनजातीय समूह के सदस्य म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके के मूल निवासी हैं जो कुछ कुछ सदियों पहले म्यांमार से आकर मिजोरम में बसे थे।
- गृह मंत्रालय ने चेंचू, बोडो, गरबा, असुर, कोतवाल, बैगा, बोंदो, मारम नागा, सौरा जैसे जिन 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया है, रियांग उनमें से एक हैं।
- त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा इस जनजाति के सदस्य असम और मणिपुर में भी रहते हैं।
- इनकी बोली रियांग है जो तिब्बत-म्यांमार की कोकबोरोक भाषा परिवार का अंग है। रियांग बोली में श्ब्रूश का अर्थ श्मानवश होता है।
- त्रिपुरी के बाद यह त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रियांग जनजाति मुख्यतः दो बड़े गुटों में विभाजित है-मेस्का और मोलसोई।
- यह मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहने वाली जनजाति है। ये पहले झूम की खेती करते थे।

पृष्ठभूमि

- मिजोरम में मिजो जनजातियों का कब्जा बनाए रखने के लिए मिजो उग्रवाद ने कई जनजातियों को निशाना बनाया और इनके अनुसार ब्रू समुदाय श्बाहरीश है।
- 1996 में ब्रू समुदाय और बहुसंख्यक मिजो समुदाय से स्वायत्त जिला परिषद के मुद्दे पर खूनी संघर्ष हुआ। तब अक्तूबर 1997 में ब्रू जनजाति की करीब आधी आबादी (लगभग पांच हजार परिवारों) ने पलायन कर त्रिपुरा में शरण ले ली थी।
- इससे पहले 2018 में इन्हें वापस भेजने के लिए एक समझौता हुआ था लेकिन वह लागू नहीं हो सका।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. ब्रू जनजातियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पूर्वोत्तर भारत का एक जनजातिय समुदाय है। इनकी मातृ भाषा बांग्ला है।
2. डूमबोर पन बिजली परियोजना के कारण इनका विस्थापन हुआ था।
3. इनके स्थायी पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच समझौता किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 3 (b) 1 और 2

(c) केवल 2 (d) 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of Bru tribes.

1. It is a tribal community of Northeast India. their mother tongue is Bangla.
2. They were displaced due to Doombor hydroelectric project.
3. An agreement has been concluded between the Central Government, Tripura and the Government of Mizoram for their permanent rehabilitation.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 3 (b) 1 and 2

(c) Only 2 (d) 2 and 3

नोट : 18 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में ब्रू शरणार्थियों को लेकर हुआ समझौता सम्बंधित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या निहितार्थ रखता है? क्या यह समझौता नागा समस्या के लिए एक मॉडल बन सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What are the implications of the recent agreement concluded for the respective North-Eastern states regarding to Bru refugees? Can this agreement become a model for the Naga problem? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।